कृषि रक्षा अनुभाग द्वारा चलायी जा रही योजना विभिन्न परिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट रोग नियन्त्रण का विवरण

उत्तर प्रदेश का मूल आधार कृषि हैं तथा लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित हैं। देश की बढती जनसंख्या के खाद्यान्न की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु कीट/रोग एवं खरपतवार की रोकथाम हेतु कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग से उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। विदित हैं कि प्रदेश में प्रति वर्ष फसलों में कीट, रोग तथा खरपतवारों आदि द्वारा लगभग 15 से 20 प्रतिशत क्षति होती हैं, जिसमें लगभग 33 प्रतिशत कीटों, 7 प्रतिशत भण्डारण के कीटों, 6 प्रतिशत चूहों तथा 8 प्रतिशत अन्य कारक सम्मिलित हैं। कृषि रक्षा अनुभाग में मुख्य योजना विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण चल रही हैं।

इस योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्नवत् हैं:–

1. योजनान्तर्गत यह प्रयास किया जायेगा कि आगामी वर्षो में बायोपेस्टीसाइडस एवं बायोएजेण्ट के प्रयोग को भरपूर प्रचार–प्रसार करते हुए खपत को बढाया जायेगा तथा कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में यथा कमी लाने का प्रयास किया जायेगा।
2. ऐसे कृषि रक्षा रसायन जिनसे कन्टेनर/पैकेट पर नर कंकाल की आकृति के साथ जहर लिखा हो तथा लाल श्रेणी में वर्गीकृत हैं, और उनका विकल्प उपलब्ध है तो उन कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में यथा सम्भव कमी लायी जायेगी तथा इस श्रेणी के रसायनों के वितरण को प्रोत्साहित नही किया जायेगा।
3. आई0पी0एम0 प्रयोगशाला में बायोपेस्टीसाइडस यथा ट्राइकोडरमा हारजियेनम, ब्यूवेरिया बैसियाना, एन0पी0वी0, स्यूडोमोनास, फलोरिसेन्स, मेटाराइजियम, एनिसोप्ली, वर्टिसिलियम, लैकानी एवं बायोएजेण्ट–ट्राइकोग्रामा, का उत्पादन बढाया जायेगा।

उद्देश्य:–

1. अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुरुप खाद्य उत्पादक को बढ़ावा देकर, निर्यात द्वारा विदेषी मुद्रा का अर्जन कर कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना।
2. पर्यावरण को विषौले कीटनाषक रसायनों से होने वाले कुप्रभाव को कम करना।
3. मृदा संरचना में सुधार करना।
4. एकीकृत नाषीजीव प्रबन्धन के अन्तर्गत जैव रसायन से कृषकों को सुरक्षित एवं विष रहित खाद्यान्न में सहयोग प्रदान करना।
5. कृषि लागत को कम करके किसानों को आर्थिक लाभ पहुॅचाने का प्रयास करना।
6. किसानों में प्रक्षोंत्रों से लाभ के प्रति आत्मविश्वास में वृद्धि करना।
7. पर्यावरण को विषैले कीटनाशकों रसायनों से होने वाले कुप्रभाव को कम करना।

लाभाविन्त ग्रुप की पात्रता:– जनपद के प्रत्येक वर्ग एवं श्रेणी के कृषक बीज शोधन हेतु तथा अन्य कार्यमदों में लघु एवं सीमान्त कृषक, जिसमें अनु0जा0/ज0जा0 तथा महिला कृषक सम्मिलित हों, अनुदान के लिये पात्र होगें।

विभिन्न परिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट रोग नियन्त्रण योजना: 2016–17

क्र0 स0	कार्यमद	भौतिक		वित्तीय		व्यय		लाभार्थियों की संख्या				
		लक्ष्य	पूर्ति हे0	लक्ष्य	आवंटन	पूर्ति माह में	पूर्ति कार्मिक	कुलसंख या कृषक	अनु0 जा0/ज0जा0	अल्पसंख्यक	महिला	पि0ज0 सं0
1	लघु/सीमान्त कृषकों को बा0ए0/बायोपेस्टी0 पर 75% अनुदान लिए बीज शोधन पर 75% अनुदान	300	811.00	1,50,000	1,50,000	50,000	1,50,000	706	105	70	72	35
2	बीज शोधन समस्त श्रेणी के कृषकों को जिसमें अनु0जा0/अ0ज0जा0/महिला सम्मिलित हो को 75प्रति0 अनु0(अधिकतम 150रू/है0)	200	1162.60	30,000	30,000	—	30,000	793	142	93	95	35
3	लघु/सीमान्त कृषकों के लिए कृषि रक्षा रसायन पर 50% अनुदान	901	2007.65	4,50,500	4,50,500	50,000	4,50,500	1,761	272	203	207	75
4	लघु/सीमान्त कृषकों के लिए कृषि यन्त्रों पर 50% अनुदान मानव चलित रू0 1500/अधिकतम शक्ति चलित रू0 3000/अधिकतम	15 सं0 मानव चालित 20 सं0 पावरचालित	48 सं0 29 सं0	22,500 60,000	22,500 60,000	1,935 —	22,500 60,000	48 29	7 6	5 7	8 5	2 3
5	लघु/सीमान्त कृषकों के लिए अन्न भण्डारण हेतु बुखारी पर 50%अनुदान	50 सं0	50 सं0	50,000	50,000	—	50,000	50	10	8	5	2
	योजना का योग:–			**7,63,000**	**7,63,000**	**1,01,935**	**1,63,000**	**3,387**	**542**	**386**	**392**	**152**
6	कृषकों एव तकनीकी कर्मचारियों को आई0पी0एम0 कृ0र0 की नई तकनीकी जानकारी का प्रषिक्षण	4 सं0	4 सं0	16,000	16,000	—	16,000	120	20	10	12	5